# न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर (राजस्थान)

| प्रार्थना पत्र संख्या | रजिस्टेशन नं0 | प्रवेश तिथि | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|---|
| 15/03/2019 | 2019/00003 | 07/01/2019 | 28.06.2022 |

1. मुथूट होम फिन (इण्डिया) लि0 शाखा जयपुर राजस्थान –जरिये प्राधिकृत अधिकारी।

–प्रार्थी

<u>बनाम</u>

1. श्री सुरेश गुप्ता पुत्र श्री उमा दत्त गुप्ता, निवासी (अ) 1/1 एनईबी, हाउसिंग बोर्ड, कृषि उपज मंडी के पीछे जिला अलवर एंव (ब) ई–155, बुध विहार, जिला अलवर (स) प्लाट नं0 के–68 ए, द्वितीय फ्लोर, वीरा गार्डन के पास, अम्बेडकर नगर, जिला अलवर राजस्थान–301001
2. श्रीमती लतेश गुप्ता पत्नी श्री सुरेश गुप्ता, निवासी (अ) 1/1 एनईबी, हाउसिंग बोर्ड, कृषि उपज मंडी के पीछे जिला अलवर एंव (ब) ई–155, बुध विहार, जिला अलवर (स) प्लाट नं0 के–68 ए, द्वितीय फ्लोर, वीरा गार्डन के पास, अम्बेडकर नगर, जिला अलवर राजस्थान–301001

–अप्रार्थीगण/ऋणी

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002**

## ––:: निर्णय ::––

प्राधिकृत अधिकारी की ओर से यह प्रार्थना अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 प्रस्तुत किया गया। जिसके द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी को दिनांक 31.01.2017 को 20,99,591/–रूपये (Rupees Twenty Lakh Ninty Nine Thousand Five Hundred Ninty One Rupees Only) को उपलब्ध कराई थी, जो दिनांक 30.11.2018 को Total Aggregating Loan Amount Rs. 26,25,590/–( Rupees Twenty Six Lakh Twenty Five Thousand Five Hundred Ninty Rupees Only) है। ब्याज/लेट पेमेन्ट पेनेल्टी/अन्य चार्जेज के सहित एवं इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्चे की अदायगी। तथा अप्रार्थी ऋणीयों/जमानतदारो द्वारा ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर अप्रार्थीगण द्वारा स्वंय की सम्पत्ति **"श्री सुरेश गुप्ता पुत्र श्री उमा दत्त गुप्ता की प्लाट नं0 के–68–ए, द्वितीय फ्लोर, वीरा गार्डन के पास, अम्बेडकर नगर, जिला अलवर राजस्थान स्थित सम्पत्ति (बैंक में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार क्षेत्रफल 145.33 वर्ग मी0)"** को रहन रखा गया था। अप्रार्थी ने तयशुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस भेजा गया परन्तु अप्रार्थीगण के द्वारा ऋण राशि की अदायगी नही की गई। प्रार्थी ने उपरोक्त **"श्री सुरेश गुप्ता पुत्र श्री उमा दत्त गुप्ता की प्लाट नं0 के–68–ए, द्वितीय फ्लोर, वीरा गार्डन के पास, अम्बेडकर नगर, जिला अलवर राजस्थान स्थित सम्पत्ति (बैंक में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार क्षेत्रफल 145.33 वर्ग मी0)"** को नो परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया गया है जिसका कब्जा लेने का अधिकार बैंक को है।

जिला कल

प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित आया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थी/ऋणी द्वारा उपलब्ध ऋण नियमानुसार प्रार्थी बैंक को नहीं चुकाया है, जिसकी वजह से उक्त खाता दिनांक 10.09.2017 को एन.पी.ए घोषित कर प्रार्थी बैंक ने ऋणी/अप्रार्थी (सह ऋणी) एवं जमानती को दिनांक 19.07.2018 को एक्ट की धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस दिया जाना अवगत कराया है, ***लेकिन नोटिस की रजि0 डाक की तामिल एवं ट्रेंकिंग रिपोर्ट पेश नही की है। जिससे यह जाहिर नही होता है कि अप्रार्थी/ऋणी एव जमानती को उक्त नोटिस की तामील हुई हों। प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र खारीज योग्य है।***

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

**निर्णय आज दिनांक 28.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

(शिवप्रसाद नकाते)
जिला मजिस्ट्रेट, अलवर